

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद (छ0ग0)

फोन एवं फैक्स नं० : 07749-223077 ई-मेल : [balod.court@nic.in](mailto:balod.court@nic.in)

// आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी की भर्ती हेतु विज्ञापन //

क्रमांक—*2044*/तीन-3-1/2013

बालोद, दिनांक 02/06/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 16/06/2023, संध्या 5.00 बजे तक  
(केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की रथापना में आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (वाटरमैन/चौकीदार/स्वीपर) के कुल 22 पदों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद द्वारा निर्धारित दैनिक वेतन पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक एवं भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उमीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

पदों की संख्या, योग्यता एवं अन्य शर्तें निम्नानुसार हैः–

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	पदों के आरक्षण का विवरण																		
			अनुसूचित जाति						अनुसूचित जनजाति						अन्य पिछड़ा वर्ग						अनारक्षित
			मुक्त	मंडिला	दिव्यांग	सेनिक	मूलपूर्व	मुक्त	मंडिला	दिव्यांग	सेनिक	मूलपूर्व	मुक्त	मंडिला	दिव्यांग	सेनिक	मूलपूर्व	मुक्त	मंडिला	दिव्यांग	सेनिक
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01	वाटरमैन / चौकीदार / स्वीपर (कुल-22 पद)	22	02	—	—	—	04	02	—	01	03	—	—	—	05	03	—	02			

02.	शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विद्यालय से कक्ष- 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
-----	------------------	--

अन्य योग्यता व अनुभव	सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हों तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एवं कुकिंग इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
----------------------	--

नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

## अन्य शर्तें:-

1. पदों की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
2. भूतपूर्व सैनिक का उपयुक्त उम्मीदवार/अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में उसी श्रेणी/प्रवर्ग के मुक्त वर्ग से रिक्त पद की पूर्ति की जायेगी।
3. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
4. दिनांक **01.06.2023** को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, परंतु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो (केवल छ.ग. के मूल निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी)
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं निःशक्तजनों को राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी किये गए परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी
  - (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष।
  - (2) महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष।
  - (3) निःशक्तजनों हेतु 10 वर्ष।
  - (4) स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष परंतु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।
6. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जावेगा।
7. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।
8. मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विरचित किये जावेंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।
9. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
10. एक से अधिक पति/पत्नि न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे। चयन/नियुक्ति पश्चात् अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी किसी शासकीय, वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक या पदच्युत न किया गया हो।
12. टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (यथा—जन्म/आयु प्रमाण पत्र, कक्षा—5 वीं प्रमाण पत्र)

जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद “आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी” लिखा हो। आवेदन पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद के नाम से केवल रजिस्ट्रर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही दिनांक 16/08/2023 संध्या 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

13. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है तथा बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
14. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय की घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के आधार पर ही उसे सेवा से पृथक् किया जा सकेगा।
15. चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वे आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।
16. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा संपन्न की जावेगी। इस कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
17. अभ्यर्थियों की संख्या, चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा पांचवीं में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार दस गुना के सीमा के लगभग आवेदकों की छंटनी कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास भूत्य पद का अनुभव/इलेक्ट्रोशियन/प्लाम्बर/ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन चालन का अनुभव/कुकिंग का अनुभव, उन्हें इस संबंध में छूट रहेगी।
18. आवेदनों की छंटाई के पश्चात् पात्र एवं अर्ह आवेदकों को रोल नंबर अंबिट दिया जावेगा, आंबिट रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, “आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा” की तिथि, समय व स्थान की जानकारी इस कार्यालय के वेबसाइट [www.ecourt.gov.in/balod](http://www.ecourt.gov.in/balod) पर अपलोड की जावेगी।
19. “आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा” में समिलित अभ्यर्थियों को पृथक् से प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य होगा। आवेदक को प्रवेश पत्र, जिला न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर “आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा” हेतु उपस्थित होना होगा। “आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा” के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चर्चा कर, अपना रोल नंबर अंकित कर निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर पहचान पत्र (ड्राइविंग लायसेंस/वोटर आईडी/कार्ड/आधार कार्ड/पेन कार्ड/स्मार्ट कार्ड) एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूलप्रति के साथ उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में “आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा” एक से अधिक दिनों में लिया जा सकेगा।

20. "आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा" में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन / चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
21. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवायें आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
22. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि एवं अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
23. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं "आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा" को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती है।

अध्यक्ष

मर्ती एवं चयन समिति  
कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बालोद (छ.ग.)

मर्ती एवं चयन समिति  
बालोद (छ.ग.)

2/6/22

**आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (वाटरमैन/चौकीदार/स्वीपर) के पद हेतु**

प्रति,

**आवेदन पत्र का प्रारूप**

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बालोद (छ०ग०)

आवेदक का  
स्व हस्ताक्षरित  
नवीनतम पासपोर्ट  
साईज रंगीन फोटो  
नाम एवं दिनांक  
सहित

1. आवेदित पद का नाम : .....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)  
(श्री/ श्रीमती/ कु.)  
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : .....
3. पिता/पति का नाम : .....
4. जन्मतिथि : .....
5. आयु दिनांक 01.06.2023 की स्थिति में : .....
6. लिंग(महिला/पुरुष) : .....
7. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है अथवा नहीं  
(यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें) : .....
8. शैक्षणिक योग्यता(संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें) : .....

क्र०	कक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

9. अनुभव यदि हो तो  
(स्वीपर/वाटरमैन/चौकीदार का प्रमाण पत्र संलग्न करें) : .....
10. विशेष योग्यता यदि हो तो  
(प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें) : .....
11. वर्ग (जो लागू हो)  
अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित

(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. यदि निःशक्तजन हों तो निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशतः.....
- .....
13. क्या आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाइडक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है (हाँ/नहीं):.....(यदि हाँ तो स्पष्ट विवरण दें)
14. क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है। (हाँ/नहीं) :.....(यदि हाँ तो स्पष्ट विवरण दें)
15. क्या आवेदक को किसी न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया है।(हाँ/नहीं):.....(यदि हाँ तो स्पष्ट विवरण दें)
16. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :.....  
.....  
.....
17. स्थायी पता :.....  
.....  
.....
18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
- |        |        |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

### //घोषणा//

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम ज्ञानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थानः—

आवेदक का हस्ताक्षरः—

दिनांकः—

नाम एवं पूरा पता:-

मोबाइल नं0:-

ई—मेलः—

(मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरें)

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ0ग0)

### —:: प्रवेश पत्र ::—

आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कमर्चारी (वाटरमैन/चौकीदार/स्वीपर) के पद हेतु

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नाम व दिनांक सहित
--

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:	.....
परीक्षार्थी का रोल नंबर	:	.....
आवेदित पद का नाम	:	.....
अभ्यर्थी का नाम	:	.....
पिता/पति का नाम	:	.....
वर्ग (अना०/अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०वर्ग)	:	.....
परीक्षा तिथि	:	.....
समय	:	.....
साक्षात्कार का स्थान	:	.....

### अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

#### अभ्यर्थी के लिए अनुदेश:-

1. आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा हेतु परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र स्वयं भरकर साथ लेकर लाना अनिवार्य होगा। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा, आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा रोल नंबर की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाइट [www.ecourt.gov.in/balod](http://www.ecourt.gov.in/balod) से प्राप्त कर सकेंगे।
3. आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्कुलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, ब्लूटूथ, आदि रखना वर्जित है अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्चा करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष  
 मर्ती एवं चयन समिति  
 कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.)